संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A11-182(3)/2022

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्याः 1789/SDSUV/Aff/2021-22 दिनांक 09-06-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कुलसचिव द्वारा उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटालिटी एण्ड टूरिज्म, हरिद्वार रोड़, देहरादून को एम0एच0एम0 (मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेन्ट) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021-22 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2021-22 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्र0 सं0	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
1.	उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटालिटी एण्ड टूरिज्म, गढ़ विहार, मोहकमपुर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।	**एम0एच0एम0** (मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेन्ट)	60 सीट	2021-22

1-निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह की अवधि में उपलब्ध करायें।

2- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

3-उक्त पाठ्यकम हेतु नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

4- संस्थान में पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण कराने एवं प्राभूति राशि के सम्बन्ध में नियमानुसार F.D.R विश्वविद्यालय के नाम बंधक रखे जाने सम्बन्धी कार्रवाई पूर्ण कराते हुये तत्सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

5- संस्थान U.G.C विनियम 2009 के नियम 3.4.7 की व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के 03 माह के भीतर फैकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय से कराना सुनिश्चित करेगा।

6- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यकमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यकमों के सम्बन्ध में पाठ्यकमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

क्रमशः/-

7– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2468(1)/जी0एस0(शिक्षा)/ A11-182(3)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, उत्तरांचल इन्स्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड टूरिज्म, हरिद्वार रोड, देहरादून।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।